राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 125/2024

हेमन्त कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2024
आदेश की दिनांक : 24.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार चेची, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक लेवल द्वितीय हिन्दी के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरीफ की झोपडी, करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 05.01.2015 के द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.01.2012 से वरिष्ठता दी गई न कि दिनांक 01.10.2008 से। प्रबोधक के पद की भर्ती राजस्थान पंचायती राज सेवा नियम, 1996 के अंतर्गत की गई थी और जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन दिनांक 31.05.2008 के द्वारा अपनाई गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 05.08.2008 के द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। परंतु अपीलार्थी का बिना किसी कारण के चयन करने से मना कर दिया गया। तदुपरांत अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 592/2009 प्रस्तुत की,

जिसमें आदेश दिनांक 22.01.2009 के द्वारा अपीलार्थी को अनुमति दी गई। इसी तरह श्रीमती प्रीति दीक्षित बनाम राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 13.01.2009 पारित किया गया तथा विजय शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में भी आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर अपीलार्थी द्वारा अवमानना याचिका संख्या 2625/2009 प्रस्तुत की गई, जिसमें अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करते हेतु एवं उसे तीन माह में निस्तारण करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 20.01.2012 को अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण तिथी से लाभ प्रदान किया गया और उसे दिनांक 27.01.2012 से नियुक्त दर्शाते हुये दिनांक 27.01.2014 से नियमित दर्शाया गया। अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिक जिन्होंने ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5405/2012 सुमन झावर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2015 जिसमें प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.10.2008 से काल्पनिक लाभ प्रदान किया जावे, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने काल्पनिक लाभ प्रदान किया। परंतु इस प्रकार अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5405/2012 सुमन झावर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये आदेश के प्रकाश में अपीलार्थी को लाभ प्रदान नहीं किया जाना उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक 01.10.2008 से एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5405/2012 सुमन झावर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश के प्रकाश में अपीलार्थी को लाभ प्रदान किये जावें और दिनांक 01.10.2008 से उसकी वरिष्ठता एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान

किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रबोधक लेवल द्वितीय हिन्दी के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरीफ की झोपडी, करौली में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत को तथा वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5405/2012 सुमन झावर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)